संख्या- 03 /2020/116/71-4-2020-एस-21/2016

प्रेषक,

डा0 रजनीश दुबे,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,
उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय,
सैफई, इटावा।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-4 लखनऊ : दिनॉक 03 फरवरी, 2020

विषयः- वित्तीय वर्ष 2019-20 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत मानक मद26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र की सूची अनुमोदित किये जाने एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-3258/ई/यू0पी0यू0एम0एस0/एम0एम0(393)/19-20, दिनांक 07-12-2019 एवं संख्या-3799/ई/यू0पी0यू0एम0एस0/एम0एम0(393)/19-20, दिनांक 07-1-2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 में अनुदान संख्या-31 के अंतर्गत संचालित पैरा मेडिकल, फार्मेसी एवं नर्सिंग कालेज में उपकरणों के क्रय हेतु मानक मद-26 मशीनें सज्जा/उपकरण और संयत्र की सूची अनुमोदित करते हुए वित्तीय स्वीकृति का अनुरोध किया गया है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2019-20 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय सैफई, इटावा हेतु मानक मद26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष उपकरणों की सूची (प्रति संलग्न) अनुमोदित करते हुए रू0 1,25,00,000.00 (रूपया एक करोड पच्चीस लाख मात्र) की धनराशि अवमुक्त किये जाने की राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं:-

1. वास्तविक आवश्यकता/उपयोगिता के आधार पर ही संबंधित उपकरणों के क्रय की कार्यवाही विश्वविद्यालय स्तर से नियमानुसार की जाएगी। सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करना कुलसचिव एवं वित्त अधिकारी का दायित्व होगा।
2. धनराशि का आहरण तभी किया जाएगा, जब उपकरण क्रय संबंधी समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति संस्थान द्वारा कर ली जाये।
3. वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 22.03.2019 में उल्लिखित दिशा निर्देशों का पूर्ण अनुपालन किया जाएगा।
4. धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों तथा समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जाएगा। धनराशि का आहरण एवं व्यय, आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जाएगा।
5. प्रस्तावित उपकरणों की गुणवत्ता मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी कुलसचिव/वित्त अधिकारी/संबंधित विभागाध्यक्ष की होगी।
6. दर अनुबन्ध/निविदा निर्गत होने से पूर्व वित्त नियंत्रक, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/ संबंधित विभागाध्यक्ष से इस आशय का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लेगें कि प्रस्तावित उपकरणों की किसी एक विशेष कम्पनी की विशिष्टियॉं न हों तथा बाजार में उपलब्ध उच्च स्तर की कम्पनियों की विशिष्टिओं का यथासम्भव समावेश किया जाए।
7. वित्त नियंत्रक द्वारा सी0वी0सी0 एवं वित्त मंत्रालय भारत-सरकार द्वारा समय-समय पर इस संबंध में निर्गत दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
8. कुलसचिव/वित्त नियंत्रक द्वारा क्रय हेतु भण्डार क्रय नियमों का पूर्ण पालन सुनिश्चित किया जाएगा।
9. प्राइज जस्टीफिकेशन संबंधी अभिलेख उपलब्ध कराना निदेशक/वित्त अधिकारी/विभागाध्यक्ष/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक की जिम्मेदारी होगी। उपकरणों के अनुरक्षण्, अधिष्ठापन आदि तथ्यों का नियमानुसार प्रक्रियात्मक अनुपालन किया जाय।
10. विश्वविद्यालय के वित्त नियंत्रक/वित्त अधिकारी यह सुनिश्चित करेगें कि उपकरणों का क्रय किये जाने में व्यापक प्रचार-प्रसार किया गया हो और उपकरणों का क्रय न्यूनतम मूल्य पर किया जाय।
11. उक्त उपकरणों का क्रय किये जाने के संबंध में समस्त औपचारिकताएं नियमानुसार पूर्ण किये जाने के पश्चात, यदि उपकरण क्रय के पश्चात धनराशि की बचत होती है तो उसे चालू वित्तीय वर्ष में क्रय किये जाने वाले अन्य उपकरणों में तद्नुसार समायोजित किया जाएगा।

12. संबंधित उपकरण/संयंत्र की क्रय प्रक्रिया में ई-प्रोक्योरमेन्ट/ई-टेन्डरिंग प्रणाली से संबंधित शासनादेशों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
13. उपकरणों का क्रय सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त कर किया जाएगा। किसी भी स्थिति में स्वीकृत धनराशि से अधिक धनराशि का व्यय नहीं किया जाएगा।
14. वर्तमान वित्तीय वर्ष में उक्त निर्गत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र (क्रयादेश/उपकरण स्थापना की सूचना सहित) यथासमय शासन को उपलब्ध कराया जाएगा।
15. क्रय किये जाने वाले उपकरणों की कुल लागत स्वीकृति धनराशि रू0 01,25,00,000.00 (रूपया एक करोड पच्चीस लाख मात्र) की सीमा के अन्तर्गत ही होगी और विश्वविद्यालय की विभागवार अति आवश्यकता एवं एम0सी0आई0 के मानक के अनुसार ही उपकरणों का क्रय सुनिश्चित किया जाएगा।
16. क्रय किये जाने वाले उपकरण, चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 द्वारा निर्गत उपकरणों के क्रय संबंधी विभिन्न शासनादेशों के अनुसार ही क्रय किये जाएगें।
17. भविष्य में ऐसे प्रकरणों में समयबद्ध रूप से कार्यवाही की जाएगी, जिससे जिस वित्तीय वर्ष में धनराशि अवमुक्त की जाए, उसी वित्तीय वर्ष में उसका व्यय सुनिश्चित किया जा सके।

3- धनराशि का आहरण वास्तविक आवश्यकतानुसार एवं व्यय नियमानुसार किया जायेगा तथा इसका उपयोग उसी मद में किया जायेगा जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किसी अन्य मद में व्यय वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।

4- धनराशि को व्यय किये जाने के पूर्व वित्त अधिकारी, उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई इटावा द्वारा बिलों पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त किये जाएगें।

5- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक अनुमान अनुदान संख्या-31-चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एंव प्रशिक्षण) के पूंजी लेखा लेखाशीर्षक "4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-03-चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-08-रूरल इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज, सैफई इटावा में पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट की स्थापना-26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयत्र" के नाम डाला जायेगा।

6- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनॉक 22 मार्च, 2019 में प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

(डा0 रजनीश दुबे)
प्रमुख सचिव।

संख्या:-03/2020/116(1)/71-4-2020 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. प्रधान महालेखाकार, (सिविल आडिट) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. कोषाधिकारी, इटावा।
4. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
5. वित्त अधिकारी,उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई इटावा।
6. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-3/नियोजन अनुभाग-4/ वित्त् (आय-व्ययक) अनुभाग-2
7. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार सिंह)
उप सचिव।